



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -02.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 07 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम - थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 84A/1994 (वाद संख्या - 953/1994) धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि बनाम लल्लूराम पुत्र तुलसीराम नि0 ग्राम बिचौली थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जेएम कोर्ट, जालौन जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त लल्लूराम उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय - थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 263/1993 (वाद संख्या -41/1994) धारा 323/504/506 भादवि बनाम 1. लल्लू बेटा उर्फ प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह 2. राजू पुत्र लल्लू बेटा उर्फ प्रताप सिंह 3. कीरत सिंह पुत्र लल्लू बेटा उर्फ प्रताप सिंह समस्त निवासीगण के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जेएम कोर्ट, जालौन जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. लल्लू बेटा उर्फ प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह 2. राजू पुत्र लल्लू बेटा उर्फ प्रताप सिंह 3. कीरत सिंह पुत्र लल्लू बेटा उर्फ प्रताप सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय - थाना जालौन में मु0अ0सं0 341/2023 (वाद संख्या -51/2023) धारा 18 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. मुन्ना नट पुत्र पीर मुहम्मद निवासी ग्राम धन्तौली थाना जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। एडीजेएफटीसी/सीएडब्लू/एनडीपीएस कोर्ट, उर्ई स्थान जालौन जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. मुन्ना नट उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ - थाना कोंच में मु0अ0सं0 1502/2013 (वाद संख्या -99/2014) धारा 4/25 आर्म्स एक्ट एक्ट बनाम 1. राममोहन पुत्र संतोष कुमार निवासी भदेवरा थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। अपर सिविल जज कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. राममोहन को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम - थाना रेंडर में मु0अ0सं0 627/2010 (वाद संख्या -241/2011) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. मुन्ना पुत्र नबाब खाँ निवासी ग्राम खकशीस थाना रेंडर जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। अपर सिविल जज कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. मुन्ना को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।